



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25052026-272712
CG-UP-E-25052026-272712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2465]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948

No. 2465]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

शुद्धिपत्र अधिसूचना

प्रयागराज, 23 दिसम्बर, 2025

का.आ. 2557(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20E की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार, रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे, निर्माण विभाग) की उल्लिखित अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

अधिसूचना संख्या का.आ.32 (अ) प्रयागराज, 23 दिसंबर 2025, दिनांक: शनिवार, 3 जनवरी 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, मिर्जापुर के 3 गांवों, अर्थात् जमुहार, गोबरदाहा और हिनौता के संबंध में। राजपत्र 3 जनवरी 2026 को हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी संस्करण में, 20ई मिर्जापुर शीर्षक वाले दस्तावेज़ की प्रकाशन तिथि गलत तरीके से 23 दिसंबर 2026 छपी है (मुद्रण त्रुटि)। सही प्रकाशन तिथि 23 दिसंबर 2026 के स्थान पर 23 दिसम्बर 2025 प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फ़ा. सं. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Construction Department)]****CORRIGENDUM NOTIFICATION**

Prayagraj, the 23rd December, 2025

S.O. 2557(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government hereby makes the following amendment in notifications of the Government of India, Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department)

Notification no. SO 32 (E) Prayagraj, December 23, 2025, dated: Saturday, January 03, 2026 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), of 03 villages of Mirzapur i.e. Jamuhar, Gobardaha, Hinauta. The Gazette was published in both Hindi and English versions on 03 Jan, 2026 in Hindi & English version. In Hindi version the date of document titled 20E Mirzapur is wrongly printed as 23 December 2026 (printing error). The correct date of publication of 23 December 2026 shall be substituted as 23 December 2025.

[F. No. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (Construction)